

प्रैस विज्ञप्ति

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश शिमला ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को वर्ष 2024-25 की वार्षिक विवरणियाँ DDO's द्वारा डाउनलोड करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himkosh.nic.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। इस सम्बन्ध में सभी आहरण एवं संचितरण अधिकारियों के लिए तथा व्यापक प्रचार/प्रसार हेतु सूचना आपके माध्यम से प्रेषित है।

“सभी आहरण एवं संचितरण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणियाँ (Annual GPF Statements) डाउनलोड करने हेतु प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himkosh.nic.in खोले। इस Website पर **GPF Statement** लिंक Click करें। यह लिंक प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश की Website खोल देगा। अब **Information for DDOs** लिंक पर Click करें। तत्पश्चात् अपना **Treasury Code, DDO Code & Password** भर दें। इस कार्यालय द्वारा Password अलग से DDO को सूचित किया जा चुका है। अब Login पर Click करें। फिर **Download Employees Annual GPF Statement** लिंक पर Click करें। सभी आहरण एवं संचितरण अधिकारियों से अनुरोध है कि अपना Password सुरक्षा हेतु बदल लें और उसे सुरक्षित रखें। यह सुविधा इसी पेज पर उपलब्ध है। किसी DDO को **Password** प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके लिए कृपया 0177-2651033 पर सम्पर्क करें।

सभी आहरण एवं संचितरण अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी कर्मचारियों की वर्ष 2024-25 की GPF Statement के अथशेष (Balances) को अपने वेतन बिल रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरान्त सभी कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रदान करना सुनिश्चित करें और इसकी अनुपालना (Compliance) से इस कार्यालय को सूचित करें।

सभी Subscribers एवं DDOs से अनुरोध है कि अपने Annual GPF Statement में दर्शाए गए आँकड़ों (Figures) से स्वयं को संतुष्ट कर लें तथा यदि उन्हें इसमें कोई त्रुटि (Discrepancy) लगे तो Annual GPF Statement की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के अन्दर प्रधान महालेखाकार कार्यालय की Website (www.aghp.cag.gov.in) में **Complaint/Suggestion Box** में दर्ज करें या agaehimachalpradesh@cag.gov.in पर ईमेल करें अथवा पत्राचार द्वारा इस कार्यालय को सूचित करें। DDOs से अनुरोध है कि वर्ष 2025-26 के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले आहरण (Withdrawal) को भी इसी विवरणी (Statement) के आधार पर स्वीकृत करें”।

उप-महालेखाकार(प्रशासन एवं निधि)

